न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06/2021 **दायर दिनांकः 12/11/2021**

उनवान

1. अनिता कंवर आयु 33 वर्ष पुत्री बहादुर सिंह जाति राजपूत
2. अर्जुन सिंह आयु 45 वर्ष पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासीगण बानपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच/ सचिव ग्राम पंचायत ननवता पंचायत समिति अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1251
दिनांक 05/09/2020 ग्राम पंचायत ननावता

उपस्थिति :–
अपीलान्टस :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
रेस्पोडेन्टस :–विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 21 /04/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश किया है कि रेस्पोडेन्ट ने रजिस्टर्ड पत्र के विक्रेता अपीलान्टस द्वारा वाके ग्राम एवं माल गोरडी जागीर में खाता संख्या 220 का ख0नं0 727 का रकबा 0.84 है0, ख0नं0 731/1410 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 747 का रकबा 2.15 है0, ख0नं0 748 का रकबा 0.86 है0, ख0नं0 750 का रकबा 1.09 है0, ख0नं0 751 का रकबा 0.24 है0, ख0नं0 752 का रकबा 0.57 है0, ख0नं0 798 का रकबा 0.31 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 6. 21 है0 शामलाती खाते की आराजी में से अपीलान्टस का हिस्सा 2/20 दर्ज था अपीलान्टस द्वारा उनके हिस्से 2/20 का 4/5 यानि कुल का 2/25 हिस्से का विक्रय विलेख दिनांक 14/07/2020 को केता हंसराज पुत्र भगवान सिंह जाति मीणा निवासी बाणंगगा तहसील अटरू

जिला बारां के पक्ष में तस्दीक नहीं कर हिस्सा 2/0 को तस्दीक गलत किया है। इस कारण नामान्तकरण संख्या 1251 दिनांक 05.09.2020 अपीलान्टस के हितों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। नामान्तरण की प्रति विक्रय पत्र की प्रति एवं जमाबन्दी साथ में संलग्न है। उक्त नामान्तरण संख्या 1251 दिनांक 05.09.2020 रेस्पोडेन्ट ने गलत तस्दीक कर दिया जो कानून के विपरीत है जिसे न्यायहित में खारिज फरमाया जाकर अपीलान्टस द्वारा बेचान किये गये अपना हिस्सा 2/25 का पुनः नया नामान्तरण तस्दीक किया जना आवश्यक है। नामान्करण संख्या 1251 दिनांक 05.09.2020 को खारिज फरमाया जाकर पुनः विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तकरण खोलने के आदेश दिये जावे। अपील की सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 1251 दिनांक 05.09.2020 ग्राम पंचायत ननावता निरस्त फरमाया जाकर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3 अभिभाषक अपीलान्टस् की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक अपीलान्टस ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 1251 दिनांक 05.09.2020 ग्राम पंचायत ननावता निरस्त फरमाया जाकर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

4 पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। अपीलांट के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.07.2020 एवं नामान्तरण पंजिका की प्रविष्टि संख्यां 1251 दिनांक 02.09.2020 के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलांटगण ने ग्राम गोरडी जागीर के खाता संख्या 220 के कुल किता 8 कुल रकबा 6.21 है0 में अपने सयुक्त हिस्से 2/20 में से 4/5 भाग का बेचान किया था अर्थात अपने 2/25 भाग ही बेचान किया। अपीलांटगण का शेष हिस्सा 2/20 का 1/4 अर्थात 1/40 भाग इनके ही खाते दर्ज रहना चाहिऐ था। लेकिन पटवारी ननावता, भू अभि0नि0 ननावता व ग्राम

पंचायत ननावता द्वारा पूरे हिस्से 2/20 को क्रेता के खाते दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। नामान्तरण संख्या 1251 दिनांक 05.09.2020 विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्टगण की अपील स्वीकार किये जो योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 (D) एल0आर0 एक्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 1251 दिनांक 05.09.2020 खारिज किया जाता है। ग्राम गोरडी जागीर के खाता संख्या 220 का ख0नं0 727 का रकबा 0.84 है0, ख0नं0 731/1410 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 747 का रकबा 2.15 है0, ख0नं0 748 का रकबा 0.86 है0, ख0नं0 750 का रकबा 1.09 है0, ख0नं0 751 का रकबा 0.24 है0, ख0नं0 752 का रकबा 0.57 है0, ख0नं0 798 का रकबा 0.31 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 6.21 है0 भूमि में अपीलांटगण के संयुक्त हिस्से 2/20 में से 4/5 भाग अर्थात 2/25 भाग भूमि ही क्रेता हंसराज पुत्र भगवानसिंह मीना के खाते दर्ज करने और शेष 2/20 का 1/4 भाग अर्थात 1/40 भाग अपीलान्टगण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां